



फा.11011/6-5/के.वि.सं(मु)।/जस्प्र/श1365

दिनांक 31-05-2024

कार्यालय आदेश

Sub:-Implementation of suomotu disclosure under Section 4 of Right to information (RTI) Act, 2005- compliance-reg.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया केविसं(मु.), नई दिल्ली के स्तर पर किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी /जन सूचना अधिकारी
1.	श्री सोमित श्रीवास्तव	संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
2.	श्री बी. के. बेहरा	उपायुक्त(शैक्षिक)	जन सूचना अधिकारी
3.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	सहायक आयुक्त(प्रशा.) (सेवा एवं आपूर्ति तथा विधि एवं समन्वय)	जन सूचना अधिकारी
4.	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त(वित्त)	जन सूचना अधिकारी
5.	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	सहायक आयुक्त(इंडीपी)	जन सूचना अधिकारी
6.	श्री टीपक डबराल	सहायक आयुक्त(स्था.॥/॥॥)	जन सूचना अधिकारी
7.	-----	सहायक आयुक्त(भर्ती, पदोन्नति एवं वरिष्ठता अनुभाग)	जन सूचना अधिकारी/ लिंक अधिकारी

उपरोक्त समिति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। तथा उपरोक्त अधिकारियों के दौरे पर होने या किसी अन्य कारणवश कार्यालय में अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

1/10
31/05/2024
(नीलम)

उपायुक्त (प्रशा.) एवं
नोडल अधिकारी/जस्प्र

प्रतिलिपि:

- (1.) आयुक्त की निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- (2.) संयुक्त आयुक्त(प्रशा.-I) की निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- (3.) संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक), केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- (4.) केविसं(मु.), नई दिल्ली के उपरोक्त सभी अधिकारियों को सूचनार्थ।
- (5.) सहायक आयुक्त(इंडीपी)(श्री मनोज कुमार पाण्डेय), केविसं(मु.), नई दिल्ली को संलग्न सूचना केविसं(मु.), नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।